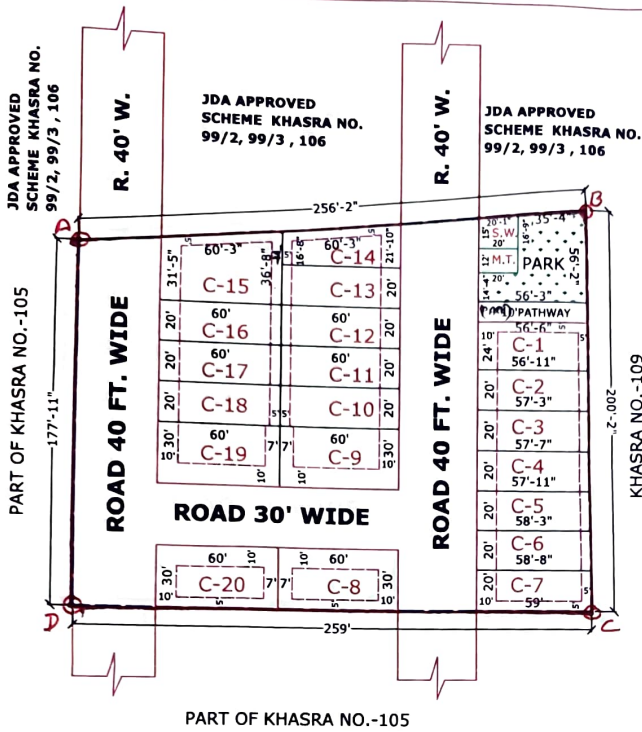


LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 105 (NEW KHASRA NO. 325/323) OF VILLAGE-GANGANA, TEHSIL - JHANWAR, DIST.-JODHPUR (RAJ.)



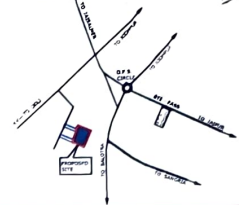
SCALE:-1"=50'



LAND USES ANALYSIS

S.NO.	PLOTS	AREA IN SQ.FT	AREA IN SQ.YDS	%
1	PLOT AREA	27110.75	3012.31	55.75
2	PARK AREA	2446.47	271.83	5.08
3	M.T./S.W. AREA	557.4	61.93	1.15
4	ROAD AREA	18532.09	2099.12	38.10
5	TOTAL AREA	48646.71	5495.19	100.00

KEY-PLAN



KHASRA MAP NOT TO SCALE



LEGEND

SYMBOL	REMARK
---	KHASRA BOUNDARY
---	B/T ROAD
---	RASTA
---	C/L OF ROAD
---	E.L.E. POLE
---	PIPE LINE
---	DP

दिनांक 12/03/2024 को सुपर इन्चोर्ज/भौतिक सत्यापित LAY OUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लक्ष्य स्थानों से किन्तु A से 2 मार्क किया गया।

सिलतासित जखायत
निर्वाहक (पू.अ.)
जोधपुर विकास अधिकारी
जोधपुर

एजेन्डा संख्या 02 (राजकाज सं. 05995) (बैठक दिनांक 06.03.2025) :-

जोन-04

1.	आयोजना शाखा में प्रारंभ क्रमांक/दिनांक	157 / 02.12.2024
2.	आवेदक का नाम	श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद
3.	राजस्व ग्राम	गंगाणा
4.	खसरा संख्या	105
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	19911 हैक्टर में से 4521.01 वर्गमीटर
6.	प्राप्ति द्वारा प्राप्त गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय :- समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटीट (जैडीए अनुमोदित कॉलोनी खसरा सं. 99/2, 99/3, 106) अनुसार आवेदित भूमि को मौका अनुसार 40 फीट पहुँच मार्ग डामर सड़क द्वारा उपलब्ध हो रहा है। अतः उक्त सड़कों को प्रथमतः ले-आउट प्लान में निरन्तर रखा जावे। 2. रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलैटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉट डेवेलपमेंट (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपयुक्त द्वारा की जावे। 3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है। अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपयुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टर से कम क्षेत्रफल की योजना में निवामानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 7. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की सलाहिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार भारतीय की गणना कर जोन उपयुक्त द्वारा शास्त्री वसुल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अगवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 9. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमांडेशन की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 13. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 14. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 15. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 16. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 17. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 18. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 19. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 20. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे।	

दिनांक 12/03/2025
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर